<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी०–प्रथम, बहराइच</u>

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1205/2026

UPBH010034502026

1– कमरूल उर्फ करूल निशा, उम्र 33 वर्ष, पुत्री बाबादीन, एवं

2– उस्मान, उम्र 26 वर्ष, पुत्र बाबादीन।

निवासीगण मटेरिया, दा० नरहरगोड़ा, थाना रामगांव, जिला बहराइच।

–––––**प्रार्थीगण/अभियुक्तगण**।

प्रति

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डी०जी०सी० (क्रिमिनल) बहराइच।

––––**विपक्षी/अभियोगी**।

अपराध संख्या–18/2026,
धारा–80(2),85,115(2) बी०एन०एस०
व 3/4 डी०पी० ऐक्ट,
थाना–रामगांव, जनपद बहराइच।

<u>निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र</u>

1– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कमरूल उर्फ करूल निशा एवं उस्मान की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त प्रकरण में अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना के साथ यह प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 482 बी०एन०एस०एस०, प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र व उसके समर्थन में प्रस्तुत किये गये शपथपत्र में कथन किया गया है कि प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा इस न्यायालय पर प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है तथा कोई अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ या किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह कथन भी किया गया है कि अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप गलत हैं। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थीगण मृतका के नन्द व देवर हैं एवं फर्जी तरीके से फंसाया गया है। अभियुक्ता कमरूल शादीशुदा महिला है एवं घटना वाले दिन वह अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल में मौजूद थी तथा सह–अभियुक्त उस्मान भी रोजगार के

सिलसिले में दिल्ली में था। प्रथमसूचक द्वारा मृतक मन्तसा की दौरान ईलाज ग्रीन हास्पिटल बहराइच में समान रूप से मृत्यु होने के उपरांत प्रार्थी/अभियुक्त व उसके परिवार वालों से पांच लाख रूपये की मांग की तो प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मना किया गया, जिस पर उक्त मुकदमा फर्जी तरीके से लिखा दिया गया। प्रथमसूचना रिपोर्ट में मृतका को मारने पीटने की बात कही गयी है परन्तु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई चोट जाहिरा व अंदरूनी नहीं है तथा अन्य कथनों के साथ अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

4– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), बहराइच द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुये अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5– उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा जमानत प्रार्थनापत्र एवं उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

6– अभियोजन अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी मुकदमा की पुत्री (मृतका) की शादी विपक्षी इरफान के साथ दिनांक 28.02.2023 को सम्पन्न हुई थी। प्रथमसूचना रिपोर्ट के अनुसार विपक्षीगण वादी मुकदमा की पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे एवं जिस सम्बन्ध में पीड़िता/मृतका द्वारा अपने पिता वादी मुकदमा को फोन कर बताया जाना उल्लेखित किया गया है तथा दिनांक 19.01.2026 को विपक्षीगण द्वारा मृतका को मारपीट कर उसकी मृत्यु कारित किया जाना उल्लेखित है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु कारण ज्ञात नहीं हो सका, जिस कारण विसरा सुरक्षित रखे जाने का उल्लेख है। विवेचना अभी प्रचलित है। प्रथमदृष्टया मामला गंभीर प्रकृति का प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने आधार पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 03.06.2026

प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश,
एफ०टी०सी०–I, बहराइच।